

उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगा क्षतिपूर्ति दावा आयोग  
प्रथमतल, फेज-II, एम.एस.ओ. बिल्डिंग  
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

## सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि उत्तर पूर्वी जिला दंगों से पीड़ित व्यक्ति निर्धारित फार्म जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा क्षतिपूर्ति दावा आयोग के कार्यालय में उपलब्ध है, अपना आवेदन दिनांक 01.12.2020 से 31.12.20 (विशेष मामलों में निर्धारित समय 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है) तक किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 9.30 बजे से 01.30 बजे अपराहन के बीच कार्यालय में जमा कर सकते है। दावा फार्म ऑनलाइन (गूगल सर्च 'नार्थ ईस्ट दिल्ली रायट्स कमीशन फार्म' पर भी उपलब्ध है)। दंगों से प्रभावित व्यक्ति आयोग में स्वयं या ई-मेल [nedrc.commission@delhi.gov.in](mailto:nedrc.commission@delhi.gov.in) द्वारा या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा दस्तावेजों के साथ 31.12.2020 तक जमा करा सकते है।

जस्टिस सुनील गौर (रिटायर्ड)  
दावा आयुक्त  
उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगा क्षतिपूर्ति दावा आयोग